चाहा तथा प्रकरण अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम समय फरियादी अमरचंद स्वयं उपरिथत। राज्य द्वारा एडीपीओ।

नेशनल

को पेश प्रकरण राजीनामा हेतु नेशनल लोक अदालत दिनांक 12.11.16 उभयपक्ष ने राजीनामा की चर्चा हेतु लोक अदालत में रखे जाने का निवेदन किया।

Judicial Magistrate First Gohad distt. Bhind (M.

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गन में आयोजित नेशनल मेगा लोक अदालत की खण्डपीठ कमांक 21 के तत्वाधान में आयोजित नेशनल दि० 12.11.16 में प्रकरण रखा गया।

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम। फरियादी अमरचंद स्वयं उपस्थित।

केर Kh चौरसिया हस्ताक्षर आवेदन धारा अतर्गत अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम द्वारा की गई। अनुमिति लोक अदालत डॉकेट बी०आर० पत्र, हेतु पहचान अधिवक्ता श्री आवेदन राजीनामा अतर्गत धारा 320–2 फरियादी के हस्ताक्षर, मय ले प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान जि राजीनामा

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

-लालच किया जाना प्रकट किया है। दवाब, लोभ-भय, राजीनामा बिना किसी फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा ि पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आशय से

रखते हुये राजीनामा दण्डनीय फरियादी 世世 सामाजिक अनुमिति से स्वीकार किए बी के अधीन आशय एवं 中 अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है। न्यायालय की अभियुक्त पर भादवि० की धारा 294, 323 एवं 506 अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय के द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा

45 18 से राजीनामा आमियुक्त जाता अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया को धारा 294, 323, 506 बी भा0द०वि० के अपराध आरोप से राज प्रमाव प्रमाव भारमुक्त किए जाते है के अपराध आरोप जाती है जिसका दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र प्रदान की पर उपशामन की अनुमिति अभियुक्त को धारा 294,

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे

सदस्य

William Control